प्रकरण संख्या–2/2021 अपील

GCMS No. -2021/69

1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पिता श्री मुरलीधर जी अग्रवाल उम्र 40 साल निवासी केली हाल मु० चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा वर्तमान निवास– भूपाल सागर तह० कपासन जिला चित्तौडगढ़ राज०

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री विजय कुमार पिता श्री बंशीलाल जी जाति महाजन अग्रवाल उम्र 58 वर्ष निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज० (तामिल प्राप्त)

2. ग्राम पंचायत केली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

रेस्पांडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1702 ग्राम पंचायत केली
निर्णय दिनांक 05.01.2002

उपस्थित :– 1–श्री मदनलाल चपलोत् – अधिवक्ता अपीलान्ट

:: निर्णय :: दिनांक :– 31.07.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम केली प०ह० केली तह० निम्बाहेडा में अपीलाण्ट की बडी माता श्रीमती शांतिबाई पत्नी राधाकिशन जी महाजन अग्रवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा के नाम पर 1/2 हिस्से खातेदारी की आराजी पुराना खाता सं० 594 की आ०नं0 278 रकबा 9 बिस्वा जिसके नवीन आ०नं० 357 रकबा 0.1100 हेक्टेयर हैं, जिसमें शांतिबाई का 1/2 हिस्सा दर्ज था इसी प्र[illegible] [illegible] खाता सं० 595 की कुल किता 3 कुल रकबा 4 बिघा 1[illegible] [illegible] जिसके वर्तमान आ0नं0 348 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, आ[illegible] [illegible] 0.0400 हेक्टेयर एवं आ[illegible] 354 रकबा 0.0500 हेक्टेयर कुत्त निहता 3 कुल रकब[illegible].02 हेक्टेयर हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:25 IST
Reason: SelfAttested

2. शांतिबाई के कोई भी जाईन्दा लडका या लडकी नहीं थी तथा वे लाऔलाद फौत हुए थे, परन्तु रेस्पोंडेन्ट नं0 1 ने जालसाजी कर कूटरचित दस्तावेज फर्जी व

Scanned by CamScanner

5. बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । अपीलान्ट अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

6. अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7. निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner